न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 71/2016

श्रीमति जड़ाव पुत्री श्री रामचन्द्र पत्नि श्री लाला, जाति जाट, निवासी ग्राम दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर हाल निवासी ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री सूरजकरण
2. श्री हरनाथ
3. श्री रामनाथ

पुत्रगण स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति जाट, निवासीगण ग्राम दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

4. स्व0 उगमी पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र
   - 4/1. श्री सूरजकरण पुत्र श्री नामालूम
   - 4/2. श्री प्रहलाद
   - 4/3. श्री रतन

   पुत्रगण श्री सूरजकरण
   - 4/4. मीना उर्फ भोली पुत्री श्री सूरजकरण

   समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम तबीजी, तहसील व जिला अजमेर
5. मनोहर
6. भूली
7. रिसाल

   समस्त पुत्रियां स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति जाट, निवासीगण ग्राम दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
9. सरपंच, ग्राम पंचायत दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

उपस्थित :–1. श्री विजयसिंह रावत, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सीताराम रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 9 की ओर से।
3. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–07.11.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के राजस्व ग्राम दिलवाड़ा स्थित वर्तमान आराजी खसरा संख्या 860, 861, 862,

अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner

863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 939, 940, 941, 1431/1723, 1434, 1435, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 व 1448 कुल किता 35 कुल रकबा 8.8200 जिसके साबिक खाता संख्या 177 कुल किता 31 कुल रकबा 54–09–10 बीघा का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 15.12.2004 से श्री सूरजकरण, श्री हरनाथ एवं श्री रामनाथ पुत्रगण श्री रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी ग्राम दिलवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के पक्ष में तहसीलदार नसीराबाद द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार नसीराबाद के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.12.2004 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोडेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पो0 संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित आये। रेस्पो0 संख्या 8 व 9 जरिये वकील उपस्थित हुए। मियाद के बिन्दु पर वकील रेस्पो0 संख्या 9 व पैरोकार सरकार द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्याय हित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम दिलवाड़ा तहसील नसीराबाद की वर्किंग जमाबन्दी अनुसार विवादग्रस्त आराजीयात के खातेदार अपीलान्ट के पिता रामचन्द्र पुत्र देवा जाति जाट थे। उनकी मृत्यु होने के उपरान्त अपीलान्ट के भाई रेस्पो0 संख्या 1 से 3 श्री सूरजकरण, श्री हरनाथ व श्री रामनाथ ने ग्राम पंचायत दिलवाड़ा से गलत तरीके से सजरा प्राप्त कर तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष मृतक रामचन्द्र की सम्पूर्ण कृषि भूमि उनके नाम करने का निवेदन किया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित सम्पूर्ण भूमि किता 31 रकबा 54–09–10 बीघा श्री सूरजकरण, श्री हरनाथ व श्री रामनाथ पिता रामचन्द्र के पक्ष में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा जरिये नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 15.12.2004 स्वीकृत करते हुए दर्ज कर दिया गया।

वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने सरपंच ग्राम पंचायत दिलवाड़ा से मिलीभगत करते हुए मृतक रामचन्द्र के वारिसानों का सजरा तैयार करवाया किन्तु सजरे में पुत्रियों का नाम अंकित नहीं किया गया। तहसीलदार नसीराबाद ने केवल ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरे के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पटवारी/गिरदावर की रिपोर्ट उपरान्त अपने स्तर पर जांच की जानी चाहिये किन्तु विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय सही वारिसान की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना एवं अपीलान्ट को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की अवहेलना है। वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान आर0बी0जे0 2017 पृष्ठ संख्या 577 पर माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। उन्होने आगे कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत पैतृक सम्पत्ति पर पुत्र व पुत्रियों के बराबर हिस्से का प्रावधान किया गया है – "Section 6 Devolution of interest in coparcenary property– (1) on and from the commencement of Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 in a joint Hindu family governed by the

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall (a) by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son. उक्त प्रावधान अनुसार पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों का भी बराबर अधिकार माना जाकर यह अधिकार जन्म से ही दिया गया है। अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 4, 5, 6 व 7 मृतक रामचन्द्र की पुत्रियां है और वैध वारिस है जिनका उक्त प्रावधान अनुसार मृतक की सम्पत्ति में बराबर का अधिकार है। इस प्रकार अपीलान्ट विवादग्रस्त भूमि की 1/7 वें हिस्से की जन्म से हकदार है एवं उन्हे स्वतः खातेदारी अधिकार मिल गये हैं। उक्त अधिकार के तहत अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 अन्तर्गत बंटवारे का दावा किया गया जो तकनीकी आधार पर निरस्त होने पर उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में की गई जो विचाराधीन है। रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने उक्त अपील व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के जवाब में अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 4 से 7 सगी बहनें होने का तथ्य स्वीकार किया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के तहत अपीलान्ट का पैतृक सम्पत्ति पर बाई बर्थ बराबर का हक व अधिकार है जबकि उक्त नामान्तरकरण में रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का ही नाम दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पक्ष में स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तकरण संख्या 143 दिनांक 15.12.2004 निरस्त कर आंशिक संशोधन करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के बाद अपीलान्ट का नाम भी दर्ज किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा केवलमात्र सजरा प्रमाण पत्र जारी करने के आधार पर ग्राम पंचायत दिलवाड़ा को पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण तहसीलदार नसीराबाद द्वारा स्वीकृत पैतृक सम्पत्ति के विरासत नामान्तरकरण एवं पारिवारिक सदस्यों के मध्य पैतृक सम्पत्ति के आपसी विवाद से सम्बन्धित है, जिसमें ग्राम पंचायत का हस्तक्षेप न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम दिलवाड़ा स्थित विवादित भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार श्री रामचन्द्र पुत्र श्री देवा जाट की मृत्यु पश्चात मृतक की विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। हम वकील अपीलान्ट के इन कथनों से सहमत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार, नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त तथ्यों की जांच कर पक्षकारों को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें

आदेश आज दिनांक 07.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2019.12.12 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: